FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0014 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 25/01/2024 12:42 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(d)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(2)
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7(c)
4	भा दं सं 1860	420
5	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 01/01/2012 **Date To (दिनांक तक):** 31/12/2020

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 00:00 बजे **Time To (समय तक):** 00:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 12/01/2021 **Time (समय):** 00:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 25/01/2024 12:42:14 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 580 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** Kanela, Bagidora

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complaint / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** RAJEEV JOSHI

(b) **Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 30/11/1967 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	1-49, RHB COLONY, GOVERDHAN VILLAS, GIRWA, GORDHAN VILAS, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	1-49, RHB COLONY, GOVERDHAN VILLAS, GIRWA, GORDHAN VILAS, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-9414163639

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	Ramesh Chander MEENA		पिता:Ram Kishor Meena	1. Aanadpuri,BANSWARA,RAJAST
2	Kelash Kumar		पिता:Sona ram grag	1. Aanadpuri,Anadpuri,BANSWARA
3	Vinod Kumar Pargi		पिता:Bhrat Lal Pargi	1. Aanadpuri,ANANDPURI,BANSW
4	Anil Joshi		पिता:Mohan Lal Joshi	1. Aanadpuri,BANSWARA,RAJAST
5	Nanka Lal Katara		पिता:Phula Katara	1. Aanadpuri,BANSWARA,RAJAST
6	Mukesh Chandra Katara		पिता:Kama	1. Aanadpuri,ANANDPURI,BANSW

7	Champa Lal		पिता:Nanji Pargi	1. Aanadpuri,BANSWARA,RAJAST
8	Amit Darji and Benificry		पिता:Bhrat lal Drji	1. Aanadpuri,BANSWARA,RAJAST

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		46,15,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):** 46,15,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

महोदय,निवेदन है कि स्थानीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 19.12.2020 को प्रकाशित खबर “ मृतकों-गरीबों के नाम से चहेतों को आवास स्वीकृत करा बांट दी राशि, पति-पत्नी को दो-दो घर दे दिए ” का प्रकाशन हुआ। इस प्रकाशित खबर पर एवं ग्राम पंचायत कानेला के ग्रामीणों द्वारा श्रीमान् जिला कलेक्टर बांसवाडा को शिकायत करने पर श्रीमान् जिला कलेक्टर बांसवाडा द्वारा अति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बांसवाडा को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित पर करने पर श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बांसवाडा से प्रधानमंत्री आवास एवं मुख्यमंत्री आवास या अन्य आवास योजना में अनियमितता बाबत् 05 सदस्य कमेटी का गठन किया गया। समाचार पत्र खबर अनुसार ग्राम पंचायत कानेला द्वारा वर्ष, 2011-12 एवं 2019-20 तक कुल 890 आवास स्वीकृत किये गये इनमें भारी अनियमितता व भ्रष्टाचार किये जाने बाबत् खबर प्रकाशित हुई। प्रकाशित खबर की जांच के दौरान एवं जिला परिषद बांसवाडा कमेटी के सदस्यो की जाचं में भारी अनियमितता, पद के दूरूपयोग व भ्रष्टाचार बाबत् पुरी स्थिति स्पष्ट करने बाबत् प्रकाशित खबर की शिकायत पर ब्यूरो में परिवाद संख्या 06/2021 दिनांक 03.02.2021 दर्ज किया गया।परिवाद संख्या 06/2021 का श्री माधोसिंह, तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ब्यूरो इकाई, बांसवाडा द्वारा सत्यापन किया गया तो दौराने सत्यापन संकलित किये गये दस्तावेजों अ ुनसार श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय बांसवाडा के आदेश क्रमांक 1020 दिनांक 17.06.2020 द्वारा ग्राम पंचायत कानेला, पंचायत समिति आनंदपुरी जिला बांसवाडा में मुख्यमंत्री बीपीएल आवास एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में स्वीकृति आवासों में भारी अनियमितता करने बाबत् की जांच हेतु श्रीमान् अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बांसवडा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया, जिसमें क्रम में श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बांसवाडा के आदेश क्रमांक 1135 दिनांक 17.06.2020 द्वारा प्राप्त शिकायत पर की विस्तृत जांच हेतु 05 सदस्य कमेटी का गठन किया गया, जिसमे श्री हरिशचन्द्र पाटीदार, सहायक विकास अधिकारी, जिला परिषद बांसवाडा, श्री बाबुसिंह मीणा, सहायक विकास अधिकारी प0स0 बांसवाडा जिला बांसवाडा, श्री हिमेश दोषी कनिष्ट तकनिकी सहायक प0स0 गांगडतलाई, श्री विक्रम पाटीदार कनिष्ट तकनिकी सहायक प0स0 बागीदौरा एवं श्री संदीप पंचाल कनिष्ट तकनिकी सहायक प0स0 आनंदपुरी सदस्य थे। कमेटी के सदस्यगण् द्वारा ग्राम पंचायत कोनला के ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायत में वर्णित 47 लाभार्थियों के आवासों का मौका निरीक्षण कमेटी द्वारा किया गया। कमेटी के मौका निरीक्षण की स्थिति एवं मौके पर उपलब्ध लाभार्थियों के कमेटी द्वारा लिये गये बयान अनुसार शिकायत में वर्णित लाभार्थियों के मुख्यमंत्री आवास योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना व अन्य आवास योजना में मौका वाईज स्थिति जांच में अंकित की गई हैं। मौका निरीक्षण में 47 लाभार्थियों की आवास की जांच में 37 लाभार्थियों का अनियमित आवास स्वीकृत किये गया जाना जांच कमेटी ने माना हैं जिसकी लाभार्थियों वाईज स्थिति निम्नानुसार हैं:-1.वर्ष, 2012-13 से वर्ष, 2019-20 तक जांच कमेटी द्वारा की गई जांच अनुसार ग्राम पंचायत कानेला द्वारा 15 लाभार्थी एक ही परिवार में एक से अधिक बार आवास स्वीकृत कर लाभान्वित किया गया, जिसमें करीब 23,45,000 रूपये का अवैध भुगतान किया जाकर

राजकोष को हॉनि पहुचाई गई हैं।2.

वर्ष 2012-13 से 2019-20 तक की अवधि में ग्राम पंचायत कानेला द्वारा लाभाविन्त किये गये 05 परिवार वर्तमान में गांव में निवासरत नहीं पाये गये हैं, फिर भी इन 05 परिवारो के जिसमें ऐसे 05 लाभार्थियों को विभिन्न आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत कर 3,50,000 रूपये अवैध भुगतान किया जाकर राजकोष को हॉनि पहुचाई गई हैं।3.वर्ष 2011-12 से वर्ष 2019-20 तक की अवधि में ग्राम पंचायत कानेला द्वारा लाभान्वित किये गये परिवारों को राशि प्राप्त नहीं हुई हैं तथा किसी लाभार्थी की मृत्यु हो जाना भी पाया गया हैं। इस प्रकार उक्त अवधि में कुल 15 लाभार्थियांे के नाम से किसी अन्य को अवैध भुगतान किया जाकर 18,00,000 रूपये की राजकोष को हानि पहुचाई गई हैं।4.

वर्ष, 2011-12 एवं 2013-14 तक की अवधि में ग्राम पंचायत कानेला द्वारा 02 राजकीय कर्मचारियों के परिवार को आवास योजना में लाभान्वित किया जाकर अवैध भुगतान किया जाकर 1,20,000 रूपये की राजकोष को हॉनि पहुचाई गई हैं।जांच कमेटी की जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम पंचायत कानेला द्वारा व्यक्तिगत् आवासों की स्वीकृतियां जारी कर दौहरा लाभ दिलाने, बिना आवेदन एवं मृत्यु उपरान्त भी लाभान्वित दर्शाकर अन्य को भुगतान करना तथा राजकीय कर्मचारियों को आवास योजना में लाभान्वित कर करीब 46,15,000 रूपये का अनियमित भुगतान कर राजकोष हॉनि पहुचाई जाना प्रथम द्रष्टया प्रमाणित मानते हुऐ तत्कालीन विकास अधिकारी श्री रमेशचन्द्र मीणा एवं कैलाश कुमार, पंचायत समिति आनंदपुरी एवं तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी विनोद पारगी, अनिल जोशी, श्री नानकलाल कटारा, मुकेशचन्द्र कटारा एवं श्री चम्पालाल कनिष्ट सहायक एवं श्री अमीत दर्जी कम्प्युटर ऑपरेटर, प0स0 आनंदपुरी जिला बांसवाडा को दोषी माना गया हैं। सम्बन्धित ग्राम पंचायत से प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमत्री आवास योजना व अन्य आवास योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देर्शिका अनुरूप सम्बन्धित लाभार्थी को लाभ दिया जाना हैं, परन्तु ग्राम पंचायत कानेला में एक ही परिवार को एक से अधिक बार आवास स्वीकृत, ग्राम पंचायत द्वारा लाभान्वित किये गये, परिवार में वर्तमान में निवासरत् नहीं पाये गये, ग्राम पंचायत द्वारा लाभान्वित परिवार को राशि प्राप्त नहीं हुई हैं एवं ग्राम पंचायत द्वारा राजकीय कर्मचारियों के परिवार को आवास योजना में लाभान्वित किया गया हैं। कमेटी की जांच रिपोर्ट अनुसार 37 लाभार्थियों को नियम विरूद्व आवास योजना का लाभ दिया जाकर लाखों रूपये को राज्य सरकार की वित्तीय हॉनि हुई हैं। उक्त आवास योजना के तहत सम्बन्धित लाभार्थियों को वर्ष, 2011-12 एवं 2019-20 की अवधि में अवैध भुगतान कार्यवाही की गई है। वर्ष, 2011-12 से वर्ष, 2019-20 तक ग्राम पंचायत कानेला द्वारा करीब 890 स्वीकृत किये गये हैं, इन 890 स्वीकृत आवासों में से 47 आवास के लाभार्थियों केा गलत व अनियमित तरीक से आवास स्वीकृत कर भुगतान करने के आरोप शिकायतकर्ता द्वारा आरोपित किये गये। इस शिकायत के तथ्यों की जिला परिषद की कमेटी द्वारा स्थल निरीक्षण व दस्तावजों की जांच इन 47 आवासों बाबत की गई। कमेटी ने 10 आवासो का सही आवटन व सही भुगतान सही लाभार्थियों को करना पाया तथा 37 आवासों की गलत स्वीकृति व अपात्र व काल्पनिक लाभार्थियों के नाम स्वीकृति कर गलत भुगतान करना माना। कमेटी द्वारा एक से अधिक योजना में आवास स्वीकृत करने, गांव के निवासी भी नहीं हैं, उन्हें आवास स्वीकृत करके, राजकीय कार्मिको को स्वीकृत करने व 15 लाभार्थियों को भुगतान नहीं कर उनकी जगह अन्य को भुगतान करना आदि 46,15,000 रूपये का अवैध व हितबद्व लोगो से मिलीभगत कर उन्हे लाभ पहूंचाया जाना पाया गया है।प्रधानमंत्री आवास योजना की मार्ग दर्शिका अनुसार सेन्सेक्स सूची वर्ष, 2011 में अधिसूचित व्यक्तियों केा वरियता से आवास स्वीकृति का ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता हैं। इसके बाद इस वरियता में पात्र अभ्यार्थियों द्वारा ग्राम विकास अधिकाारी को आवेदन किया जाता हैं, उसी के द्वारा या आवास सहायक द्वारा आवेदन फार्म की जांच मार्ग दर्शिका में बताये मापदण्ड अनुसार पात्र पाये जाने पर उस आवेदन को अपनी अनुशंषा के साथ पंचायत समिति को भेजा जाता हैं। पंचायत समिति द्वारा आवेदन स्वीकृति होेने पर सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी या आवास सहायक द्वारा अभ्यार्थी का आवास निर्माण बाबत् प्रस्तावित स्थल जीओटेक करने पर पिथ लेवल तक के लिए प्रथम किश्त एवं लेन्टल लेवल तक जीओ टेक करने पर द्वितीय किश्त एवं आवास निर्माण कार्य पुर्ण होने जीओ टेक अंतिम किश्त सम्बन्धित लाभार्थी के बैक खाते में पंचायत समिति के माध्यम से जमा कराई जाती हैं। जांच कमेटी द्वारा करीब 47 आवास की मौका निरीक्षण किया जाकर जांच की गई तो 37 लाभार्थियों को अनियमित आवास स्वीकृत किया जाना कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में माना हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में सरपंच द्वारा मुख्यतः सेन्सेक्स सूची वर्ष, 2011 में अधिसूचित व्यक्तियों केा वरियता से आवास स्वीकृति का ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता हैं इसके उपरान्त लाभार्थी की पात्रता की जांच हेतु ग्राम सेवक एवं टेग अधिकारी संयुक्त रूप से जिम्मेवार होंगे अर्थात लाभार्थी की पात्रता की जांच निर्धारित 14 बिन्दूओ पर करने के उपरान्त ही पंचायत समिति को पंजीकरण/स्वीकृति हेतु आवेदन भेजा जाता हैं। संरपच द्वारा ग्राम पंचायत में वरियता के आधार पर लाभार्थी के आवास प्रस्ताव पारित के बाद आवास के भुगतान के सम्बन्ध में किसी प्रकार सीधी भूमिका नहीं रहती हैं। ग्राम विकास अधिकारी एवं विकास अधिकारी द्वारा सम्बन्धित लाभार्थी को भुगतान कार्यवाही की जाती हैं। उक्त कमेटी सदस्य की जांच रिपोर्ट में अनुसार आरोपीगण् श्री रमेशचन्द्र मीणा तत्कालीन विकास अधिकारी, श्री कैलाश कुमार तत्कालीन विकास अधिकारी, पंचायत समिति आनंदपुरी जिला बांसवाडा, श्री विनोद पारगी, श्री अनिल जोशी, श्री नानकलाल कटारा, श्री मुकेशचन्द्र कटारा तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी, श्री चम्पालाल कनिष्ट सहायक, ग्राम पंचायत

जिला बांसवाडा द्वारा अपने पद एवं अधिकारों का दूरूपयोग कर आवास योजना में नियम विरूद्व 37 लाभार्थियों को अनियमित आवास स्वीकृत किया जाकर 46,15,000 रूपये अवैध भुगतान किया जाना प्रथम द्रष्टया प्रमाणित हैं जो उपरोक्त सभी का उक्त कृत्यु जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(डी), 13(2) पी0सी0 एक्ट, 1988 एवं धारा 7(सी) पीसी एक्ट 1988(यथा संशोधित अधिनियम 2018) सहपठित धारा 420, 120 बी आईपीसी में प्रमाणित है तथा प्रकरण में आरोपीगणों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित अधिनियम 2018) की धारा 17-A के तहत संबधित विभाग से पूर्वानुमोदन प्राप्त हो चुका है। अतः 1- श्री रमेश चन्द्र मीणा, तत्कालीन विकास अधिकारी पंचायत समिति आनन्दपुरी जिला बांसवाडा 2- श्री कैलाश कुमार, तत्कालीन विकास अधिकारी पंचायत समिति आनन्दपुरी जिला बांसवाडा 3- श्री विनोद पारगी, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कानेला पंचायत समिति आनन्दपुरी जिला बांसवाडा 4- श्री अनिल जोशी, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कानेला पंचायत समिति आनन्दपुरी जिला बांसवाडा 5- श्री नानकलाल कटारा, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कानेला पंचायत समिति आनन्दपुरी जिला बांसवाडा 6- श्री मुकेश चन्द्र कटारा, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कानेला पंचायत समिति आनन्दपुरी जिला बांसवाडा 7- श्री चम्पालाल तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कानेला पंचायत समिति आनन्दपुरी जिला बांसवाडा 8- श्री अमित दर्जी, कम्प्युटर ऑपरेटर पंचायत समिति आनन्दपुरी जिला बांसवाडा एवं लाभार्थीगण ग्राम पंचायत कानेला पंचायत समिति आनन्दपुरी जिला बांसवाडा द्वारा अपने पद एवं अधिकारों का दूरूपयोग कर आपस में मिलीभगत कर षड़यंत्र करते हुए उक्त आवास योजना में नियम विरूद्व 37 लाभार्थियों को अनियमित आवास स्वीकृत किया जाकर 46,15,000 रूपये अवैध भुगतान किया जाना प्रथम द्रष्टया प्रमाणित होने से उपरोक्त के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(डी), 13(2) पी.सी. एक्ट, 1988 एवं धारा 7(सी) पी.सी. एक्ट 1988(यथा संशोधित अधिनियम 2018) सपठित धारा 420, 120बी आईपीसी के अन्तर्गत बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित हैं।भवदीय (राजीव जोशी)अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाडा...कार्यवाही पुलिस...प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजीव जोशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाड़ा ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(डी),13(2) पीसी एक्ट, 1988 एवं धारा 7(सी) पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित अधिनियम 2018) सपठित धारा 420, 120बी भादंस में आरोपीगण 1- श्री रमेश चन्द्र मीणा, तत्कालीन विकास अधिकारी पंचायत समिति आनन्दपुरी जिला बांसवाडा 2- श्री कैलाश कुमार, तत्कालीन विकास अधिकारी पंचायत समिति आनन्दपुरी जिला बांसवाडा 3- श्री विनोद पारगी पुत्र श्री भरतलाल पारगी तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कानेला पंचायत समिति आनन्दपुरी जिला बांसवाडा 4- श्री अनिल जोशी पुत्र श्री मोहनलाल जोशी तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कानेला पंचायत समिति आनन्दपुरी जिला बांसवाडा 5- श्री नानकलाल कटारा पुत्र श्री फुला कटारा तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कानेला पंचायत समिति आनन्दपुरी जिला बांसवाडा 6- श्री मुकेश चन्द्र कटारा पुत्र श्री कमा कटारा तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कानेला पंचायत समिति आनन्दपुरी जिला बांसवाडा 7- श्री चम्पालाल पारगी पुत्र श्री नानजी पारगी तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कानेला पंचायत समिति आनन्दपुरी जिला बांसवाडा 8- श्री अमित दर्जी पुत्र श्री भरतलाल दर्जी कम्प्युटर ऑपरेटर पंचायत समिति आनन्दपुरी जिला बांसवाडा एवं लाभार्थीगण ग्राम पंचायत कानेला पंचायत समिति आनन्दपुरी जिला बांसवाडा के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 14/2024 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर अनुसंधान अधिकारी श्री विक्रम सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर को सुपुर्द कर उक्त के सम्बन्ध में रोजनामचा रिपोर्ट 389 दिनांक 25.1.2024 पर अंकित है।(विशनाराम)पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।क्रमांकः- 61-68 दिनांक 25.1.2024 प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर। 2. उप निदेशक, संयुक्त शिक्षा उदयपुर मण्डल, उदयपुर। 3.शासन उप सचिव, निदेशालय, आयुवेर्दिक विभाग, राजस्थान, जयपुर। 4.मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, बांसवाड़ा। 5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति आनंदपुरी, बांसवाड़ा। 6.उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर। 7.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाड़ा। 8.अति. पुलिस अधीक्षक-परि, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर(परि.6/2021)।पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Vikram Singh Rathore **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 25/01/2024 12:46:47

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishna Ram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	01/07/1970				
2	Male	04/01/1986				
3	Male	23/02/1987				
4	Male	13/10/1973				
5	Male	05/09/1986				
6	Male	10/03/1994				
7	Male	01/01/1980				
8	Male	17/09/1992				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)